प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 02.01.2025

लूट,हत्या व मारपीट का अपराध कारित करने वाले 03 अभियुक्तो के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट द्वारा गैंग लीडर विजय निषाद उर्फ विज्जी पुत्र बाला लखन्दर निवासी चकरा अव्वल अमरुदमण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर व गैंग के 02 अन्य सदस्यों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी । उक्त गैंग का लीडर विजय निषाद उर्फ विज्जी उपरोक्त स्वयं और अपने गिरोह के 02 अन्य सदस्यों 1. छोटे साहनी पुत्र स्व0 उत्तम साहनी निवासी चकरा अव्वल अमरुदमण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर 2. करन उर्फ रिंकू चौहान पुत्र राकेश चौहान निवासी चकरा अव्वल मुक्तेश्वरनाथ मंदिर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर हत्या,लूट व चोरी जैसे अन्य गम्भीर अपराध कारित करते रहते हैं । गैंग के सरगना एवं अन्य 02 सदस्यों का सामान्यतः आमजन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर विजय निषाद उर्फ विज्जी उपरोक्त व गिरोह के अन्य 02 सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 01/ 2025 धारा 2 (ख) (i) (xi) / 3 (i) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 01/ 2025 धारा 2 (ख) (i) (xi) / 3 (i) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0-1986 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

अभियुक्तों का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

1. गैंग लीडर विजय निषाद उर्फ विज्जी पुत्र बाला लखन्दर निवासी चकरा अव्वल अमरुदमण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

I. मु0अ0सं0 185/24 धारा 302, 352, 34, 201, 393 भादवि व 9/25 (2) / 27 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

II. मु0अ0सं0 266/2023 धारा 394,411,506 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

III. मु0अ0सं0 285/2023 धारा 394,411 भादसं थाना राजघाट जनपद गोरखपुर ।

2. अभियुक्त छोटे साहनी पुत्र स्व0 उत्तम साहनी निवासी चकरा अव्वल अमरुदमण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

I. मु0अ0सं0 185/24 धारा 302,352,34, 201,393 भादवि0 व 9/25 (2) / 27 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

II. मु0अ0सं0 206/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

3. अभियुक्त करन उर्फ रिंकू चौहान पुत्र राकेश चौहान निवासी चकरा अव्वल मुक्तेश्वरनाथ मंदिर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

I. मु0अ0सं0 185/24 धारा 302,352,34,201,393 भादवि व 9/25 (2) / 27 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर